तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/2064/2005/जयपुर** **सरकार बनाम बिरदा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-02-2026	**एकलपीठ** **श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री शिव प्रकाश चौधरी, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1– यह रेफरेंस न्यायालय अति0 कलक्टर (प्रथम) जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 13–01–2005 के द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, बस्सी ने रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिकथन किया कि एकीकरण जमाबंदी सम्वत् 2019 ग्राम बासखोह तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 160 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, 643/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 644/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके देह पुजरी प्रताब पुत्र रामसुखा जाति ब्रा0 के नाम खातेदारी दर्ज थी तथा कृषक के कालम में खसरा नम्बर 160 में भूरा पुत्र सरबा मीना, खसरा नम्बर 643/2 में रामेश्वर पुत्र बालाजी ब्रा0 व खसरा नम्बर 344/2 में भौरीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्रा0 का नाम दर्ज था। कालान्तर में जमाबंदी सम्वत् 2022–25 बताते समय खसरा नम्बर 160 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी भूरा पुत्र सरबा जाति मीना, खसरा नम्बर 643/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी रामेश्वर पुत्र बालाजी ब्रा0 व खसरा नम्बर 644/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कृषक भौरीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण के फौत होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 22 दर्ज होकर नारायण पुत्र भौलीलाल ब्रा0 की खातेदारी में नियम विरूद्ध दर्ज कर दी गयी तथा माफी मंदिर श्री सीताराम जी का नाम विलोपित कर दिया। इसी प्रकार रामेश्वर पुत्र बालाली के फौत होने पर नामांतरकरण संख्या 173 विरासत से कन्हैयालाल पुत्र रामेश्वर के हक में दर्ज होकर जमाबंदी सम्वत् 2051–54 में खसरा नम्बर 643/2/880 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कन्हैालाल पुत्र रामेश्वर की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 160 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूरया पुत्र सरबा के फौत होने पर विरासत नामांतरकरण संख्या 151 से बिरदा, मूल्या व सीताराम पि0 भूरया के नाम दर्ज होकर वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अतः नियम विपरीत दर्ज हुई उक्त आराजी को पुनः माफी मंदिर श्री सीताराम जी के नाम खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया। 3– न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 13–01–2005 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/2064/2005/जयपुर** **सरकार बनाम बिरदा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण मण्डल को अभिशंषा हेतु प्रेषित किया है। 4– रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 5– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि मंदिर श्री सीताराम जी के नाम की खातेदारी में दर्ज थी। बाद में बिना किसी आधार व आदेश के मंदिर श्री सीताराम जी के नाम से विवादित भूमि की खातेदारी हटा कर अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो अवैध एवं अनुचित है। मंदिर को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर सेवक/पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। अतः भूमि को अप्रार्थी की निजी खातेदारी से हटा कर पूनः मंदिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे। 6– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के साथ नकल खतौनी एकीकरण विभाग सम्वत् 2019 संलग्न है जिसके अनुसार प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 644/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज होना अंकित है एवं कृषक के कॉलम में भौरीलाल पुत्र लक्ष्मीरानायण जाति ब्राहमण दर्ज होना अंकित है। नकल नामांतरकरण संख्या 22 संलग्न है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बासखोह में स्थित आराजी खसरा संख्या 644/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि नाराण पुत्र भौरीलाल के खाते में दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2051–54 संलग्न है जिसके अनुसार बासखोह में स्थित आराजी खसरा नम्बर 644/2/883 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि नारायण पुत्र भौरीलाल के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इसके अलावा नकल खतौनी एकीकरण विभाग सम्वत 2019 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बासाखोह में स्थित आराजी खसरा नम्बर 643/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि माफी मंदिर सीताराम जी के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसके अलावा नकल जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बासाखोह में स्थित आराजी खसरा नम्बर 643/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि रामेश्वर पुत्र बालाजी के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल नामांतरकरण संख्या 173 संलग्न है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2051–54 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा संख्या 643/2/880 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि कन्हैयालाल पुत्र रामेश्वर के नाम दर्ज होना अंकित है। नकल खतौनी भूमि एकीकरण विभाग समवत् 2019 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा संख्या 160 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री सीताराम जी देह पुजारी प्रताब पुत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/2064/2005/जयपुर** **सरकार बनाम बिरदा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामसुखा जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज होना अंकित है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2022–25 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बासखोह में स्थित आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि भूरा पुत्र सरबा जाति मीणा के नाम दर्ज होना अंकित है। नकल नामांतरकरण संख्या 151 संलग्न है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2051–54 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बासखोह में स्थित आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि बिरदा पुत्र सीताराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से साबित है कि विवादित भूमि पूर्व में मंदिर श्री सीताराम जी के नाम अन्य भूमियों के साथ संयुक्त खातेदारों के साथ खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मंदिर आदि शाश्वत् नाबालिग है और मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी/सेवक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। 7– अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी को विपक्षीगण के नाम से हटायी जाकर राजस्व अभिलेख में मंदिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	